न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0–4, मुरादाबाद
जमानत प्रार्थना पत्र सं0– /2022
जमानत आदेश

21.07.2022:–

मु0अ0सं0–499/2020, अन्तर्गत धारा–498ए,323 भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना छजलैट, जिला मुरादाबाद में प्रार्थीगण चन्द्रवीर सिंह व श्रीमती रेखा देवी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है।

प्रार्थीगण द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि प्रार्थीगण को उपरोक्त केस में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थीगण बिल्कुल निर्दोष है। प्रार्थीगण वादिनी मुकदमा के जेठ व जेठानी हैं। प्रार्थीगण द्वारा वादिनी मुकदमा से कोई दहेज की मांग नहीं की गयी है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, न ही सजायफ्ता है। प्रार्थीगण अपनी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे। अतः जमानत किये जाने की याचना की गयी है।

सहायक अभियोजन अधिकारी की आख्यानुसार अभियुक्तगण द्वारा पीडिता के साथ दहेज की मांग के सम्बन्ध में क्रुरता की गयी है। अपराध गैर जमानतीय है। जमानत का प्रबल विरोध है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा आज स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर आत्म समर्पण किया गया है तथा न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्तगण पीड़िता के सास व ससुर हैं। मामला पारिवारिक व वैवाहिक है, आधार पर्याप्त है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्तगण चन्द्रवीर सिंह व श्रीमती रेखा देवी प्रत्येक द्वारा 30,000/–रू0 के व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अभियुक्तगण/आवेदकगण को जमानत पर रिहा किया जाये कि–

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होते रहेंगे एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेंगे।
2. आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अभियोजन साक्षीगण को न डराएंगे और न ही धमकाएंगे तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे।
3. आवेदकगण/अभियुक्तगण विवेचना (यदि हो) एवं विचारण में सहयोग करेंगे।

(स्मिता गोस्वामी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–4, मुरादाबाद।
J.O. CODE-UP2323